बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के सभी प्रखण्डों में एक–एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया । इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन के लिए विभिन्न चरणों में RFP No. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक–13.08.2016, RFP No. BSDM/ RFP/ 08/ 2016-17 दिनांक–09.09.2016 तथा RFP No. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक–22.10.2016 देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया तथा इसे बिहार कौशल विकास मिशन के Website-www.skillmissionbihar.org पर भी अपलोड किया गया ।

RFP संख्या- BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक–13.08.2016 के आधार पर M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. 1st Floor, Module 1B, Incubation Center, Salt Lake, Sector-V, Kolkata-91 को प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, कोढ़ा(कटिहार) के संचालन का दायित्व सौंपा गया तथा उन्हें बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/RFP-40/2016-439 दिनांक–15.09.2016 के द्वारा LOA निर्गत किया गया ।

पुनः RFP संख्या- BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक–09.09.2016 के आधार पर एजेंसी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. को अररिया जिले का नरपतगंज, पलासी तथा सिकटी, कटिहार जिले का कुरसैला, मनिहारी तथा प्राणपुर, मधेपुरा जिले का आलमनगर, घैलाढ़ तथा सिंहेश्वर स्थान एवं सुपौल जिले का निर्मली तथा प्रतापगंज, BSDC के संचालन का दायित्व सौंपते हुए पत्र संख्या–BSDM/RFP/40/2016-544 दिनांक–03.10.2016 के द्वारा LOA निर्गत किया गया । एजेंसी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. को LOA निर्गत होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर बिहार कौशल विकास मिशन के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने का निदेश दिया गया, साथ हीं चयनित एजेंसी को कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal -www. skill missionbihar.org पर पंजीकृत होने का निदेश निर्गत किया गया ।

कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु एजेंसी के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करने के पश्चात कटिहार जिले के कोढ़ा,कुरसैला,मनिहारी तथा प्राणपुर, मधेपुरा जिले का– आलमनगर, घैलाढ़ तथा सिंहेश्वर स्थान के BSDC में कंप्यूटर आदि की स्थापना की गयी तथा इन सभी BSDC पर माह जुलाई, 2017 के बैच से वास्तविक प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ ।

उल्लेखनीय है कि राज्य के 15–25 वर्ष के, कम से कम 10वीं उत्तीर्ण युवाओं को, 240 घंटे का कुशल युवा का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र तथा निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनके माध्यम से कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित है । 240 घंटे के इस प्रशिक्षण में 120 घंटे कंप्यूटर के मूलभूत प्रशिक्षण, 80 घंटे हिन्दी एवं अंग्रेजी संवाद कौशल का प्रशिक्षण तथा 40 घंटे व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । यह प्रशिक्षण e-learning पद्धति से संचालित है, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन 4 घंटे, 2 घंटे लैब में तथा 2 घंटे क्लास रूम का प्रशिक्षण प्राप्त करना है । प्रशिक्षण केन्द्र पर एक बैच 20 प्रशिक्षणार्थियों का है तथा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को प्रत्येक केन्द्र पर 20 लैपटॉप/डेस्कटॉप (Client) कंप्यूटर लैब में तथा एक लैपटॉप/डेस्कटॉप (Client) क्लास रूम में अधिष्ठापित करना आवश्यक है । ये सभी 21 कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े होते हैं अर्थात प्रत्येक केन्द्र पर 21+1 अर्थात 22 कंप्यूटर सेट अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त एजेंसी को क्लास रूम में प्रोजेक्टर तथा स्क्रीन की भी व्यवस्था रखनी आवश्यक है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि एजेंसी को RFP No.BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक–13.08.2016 से एक B SDC कोढ़ा(कटिहार) तथा RFP No.BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक–09.09.2016 से कुल 11 नरपतगंज, पलासी तथा सिकटी(सभी जिला अररिया), कुरसैला, मनिहारी तथा प्राणपुर (सभी जिला कटिहार), आलमनगर, घैलाढ़ तथा सिंहेश्वर स्थान (सभी जिला मधेपुरा) तथा निर्मली एवं प्रतापगंज (सभी जिला सुपौल) कुल– 11 अर्थात दोनों चरणों का मिलाकर कुल 12 BSDC के संचालन का दायित्व सौंपा गया, जिसमें एजेंसी के द्वारा माह जुलाई तक कटिहार जिले के कोढ़ा, कुरसैला,मनिहारी तथा प्राणपुर, मधेपुरा जिले का आलमनगर, घैलाढ़ तथा सिंहेश्वर स्थान अर्थात कुल 7 BSDC में वास्तविक प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया । अररिया जिले के नरपतगंज, पलासी तथा सिकटी तथा सुपौल जिले के निर्मली तथा प्रतापगंज में उनके द्वारा न तो निर्धारित तिथि तक केन्द्र की स्थापना हीं की गयी न हीं वास्तविक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी ।

District Skills Manager, मधेपुरा के द्वारा M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. को मधेपुरा जिले में आवंटित BSDC घैलाढ़, सिंहेश्वर स्थान तथा आलमनगर के केन्द्रों का निरीक्षण माह जुलाई में दिनांक–20,22 तथा 28 जुलाई को किया गया । पुनः दिनांक–01 अगस्त, 2017 को इन केन्द्रों का निरीक्षण करने के पश्चात दिनांक–02 अगस्त, 2017 को अपना प्रतिवेदन बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया । निरीक्षण के पश्चात भेजे गये प्रतिवेदन में मुख्य बिन्दु निम्न रूप से उठाये गये :–

- किसी भी केन्द्र पर LAN कनेक्शन उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ।
- सभी केन्द्रों पर 5–7 कंप्यूटर कार्यरत नहीं है ।
- किसी भी केन्द्र पर क्लास रुम सेशन उचित ढंग से नहीं संचालित है ।
- Online UPS क्रियाशील नहीं है तथा Power backup हेतु अधिष्ठापित जेनरेटर में ईंधन उपलब्ध नहीं है ।
- इन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मी एजेंसी के असहयोगात्मक रवैया के कारण अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं ।

दिनांक–03 अगस्त, 2017 को District Skills Manager, कटिहार के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. के द्वारा अपने सुपौल तथा अररिया जिले में आवंटित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के Verification के लिए कटिहार जिले के 4 प्रखण्डों में अधिष्ठापित Online UPS तथा Projector को हटा लिया गया है ।

District Skills Manager,मधेपुरा तथा कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर Executive Director,M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd.1st Floor, Module 1B, Incubation Center, Salt Lake, Sector-V, Kolkata-91 से बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या– BSDM/SDM-18/2017-598 दिनांक–04.08.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में एजेंसी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd.के द्वारा अपने email दिनांक–07 अगस्त, 2017 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपने स्पस्टीकरण में एजेंसी के द्वारा सभी बिन्दुओं के लिए खेद प्रकट करते हुए 3 दिनों के भीतर इसमें सुधार लाने का आश्वासन दिया गया । अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने अपने सभी केन्द्रों को सभी सिस्टम के साथ प्रारम्भ किया था, लेकिन विद्युत प्रवाह में Fluctuation के कारण कुछ सिस्टम में खराबी आ गयी, जिसे 4–5 दिनों में ठीक करा लिया जायेगा । क्लास रुम के लिए उनके पास प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्यूटर तथा स्पीकर उपलब्ध है, लेकिन स्पीकर का आकार छोटा होने के कारण District Skills Manager के द्वारा बड़ा स्पीकर क्रय करने का निदेश दिया गया, जिसे 3–4

दिनों में अधिष्ठापित करा लिया जायेगा । स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि Online UPS अधिष्ठापित कर दिया गया है तथा जेनरेटर के लिए ईंधन की व्यवस्था कर दी गयी है साथ हीं साफ–सफाई के लिए केन्द्र पर सफाई कर्मी की व्यवस्था कर दी गयी है । बर्षात के बजह से कटिहार जिले के कुछ BSDC में कुछ कार्य लंबित हैं, जिसे 3–4 दिनों में ठीक करा लिया जायेगा । कटिहार जिले के Online UPS तथा 3 Preojector के विषय में एजेंसी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि ये सभी Projector तथा Online UPS वारंटी में है तथा इसमें खराबी आ जाने के कारण इसे वापस कर दिया गया है, जिसे 3–4 दिनों में ठीक कराकर अधिष्ठापित कर दिया जायेगा ।

एजेंसी से प्राप्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा संचालित केन्द्रों पर कुछ कंप्यूटर तथा Online UPS तथा Projector खराब हैं या उपलब्ध नहीं हैं जिन्हें उनके द्वारा 3–4 दिनों में ठीक करा लिये जाने का आश्वासन दिया गया । स्पष्ट है कि e-learning पद्धति से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में यदि केन्द्र पर कंप्यूटर सिस्टम, Power backup के लिए Online UPS, Projector उपलब्ध नहीं है तथा जेनरेटर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है । यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार के एक अत्यंत हीं महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर मूर्त रूप देने में एजेंसी के द्वारा तत्परता नहीं दिखायी जा रही है तथा वे कार्यक्रम के संचालन के प्रति जागरूक एवं तत्पर नहीं रहे हैं । एजेंसी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है । उनके द्वारा अररिया एवं सुपौल जिलों के केन्द्रों के Verification के लिए कटिहार जिले के BSDC से Online UPS तथा Projector को हटा लिए जाने के बिन्दु पर अपने स्पष्टीकरण में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध तथा बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्गत LOA का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिये ये दोषी पाये जाते हैं ।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्मित सभी BSDC को दिनांक–31 जुलाई, 2017 तक पूर्णरूप से अधिष्ठापित कर लिये जाने के निदेश के बावजूद भी एजेंसी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. के द्वारा अररिया जिले के 3 BSDC तथा सुपौल जिले के 2 BSDC को संचालन हेतु पूर्णरूपेण अधिष्ठापित करने में कोई रूचि नहीं ली गयी जो उनके अकुशल कार्यशैली तथा इस कार्यक्रम के प्रति उदासिनता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित तथा स्थापित करता है ।

सभी बिन्दुओं की सूक्षमता से विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि एजेंसी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. के द्वारा मधेपुरा तथा कटिहार जिलों में स्थापित BSDC के संचालन में तत्परता नहीं बरती गयी है । उनके द्वारा बिना यथेष्ट संख्या के कंप्यूटर, Online UPS तथा Projector के हीं केन्द्रों का संचालन किया गया है, जो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्गत LOA तथा हस्ताक्षरित अनुबंध का उल्लंघन है । अंतिम रूप से निदेश निर्गत किये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अररिया जिले के नरपतगंज,पलासी तथा सिकटी BSDC तथा सुपौल जिले के निर्मली तथा प्रतापगंज BSDC को स्थापित नहीं किया जाना उनके कार्यक्रम के प्रति उदासीन रवैये का परिचायक है ।

अतः बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध तथा निर्गत LOA के उल्लंघन के आरोप में M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. 1st Floor, Module 1B, Incubation Center, Salt Lake, Sector-V, Kolkata-91 को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी निर्गत किया जाता है, साथ हीं उनके एजेंसी को अररिया जिले के नरपतगंज, पलासी तथा सिकटी तथा सुपौल जिले के निर्मली तथा प्रतापगंज प्रखण्डों के BSDC के संचालन

के दायित्व से मुक्त करते हुए इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए जमा किये गये Performance guarantee की राशि को जब्त किया जाता है । कोढ़ा, कुरसैला, मनिहारी, प्राणपुर (अररिया), आलमनगर, घैलाढ़ तथा सिंहेश्वर स्थान के BSDC को बिना समुचित संख्या के कंप्यूटर, बिना Online UPS, Projector तथा बिना Power backup के संचालित किये जाने के आरोप में उनके माह अगस्त के Invoice से 25% की राशि कटौती करने का आदेश दिया जाता है । उन्हें यह भी चेतावनी निर्गत की जाती है कि भविष्य में इन केन्द्रों के संचालन में किसी प्रकार की कोताही बरते जाने की स्थिति में उनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को पूर्णरूपेण रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके साथ संबद्ध शेष बचे 7 केन्द्रों के संचालन के दायित्व से भी उन्हें मुक्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी Performance guarantee की राशि को जब्त कर ली जायेगी ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0/एस0डी0एम0–18/2017–634 पटना,दिनांक– 22/8/2017

प्रतिलिपि–(1) Executive Director, M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. 1st Floor, Module 1B, Incubation Center, Salt Lake, Sector-V, Kolkata-91 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) Zonal Manager (Operation), M/s Swastik Institute of Information Technology, Salt Lake, Incubation Center, Block EP&GP,XI-8/2 Module 1B (1st floor) Salt Lake, Kolkata- 700091 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ Manager, Finance & Accounts,BSDM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। Manager, Finance & Accounts को आदेश दिया जाता है कि वे एजेन्सी M/s Swastik Computer Education Pvt.Ltd. के माह अगस्त, 2017 के Invoice से 25% की राशि की कटौती करते हुए भुगतान की कार्रवाई करेंगे ।

(4) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/17

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।